



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072023-247458
CG-DL-E-19072023-247458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3105]
No. 3105]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ़ 28, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 3238(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को लोकहित में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/31/2015-सीएस]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

S.O. 3238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Regional Rural Bank notified under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), from the application of provisions of section 5 and 6 of the Competition Act, 2002 for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 5/31/2015-CS]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.